मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना म.प्र.

प्रमुख उपयोजनाऐं - क्रियान्वयन निर्देश

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल
59, द्वितीय तल, सी विंग, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, पिन : 462011
दूरभाष : 0755–2551487, फेक्स : 0755–2550094
Email : rddmp@yahoo.com , website : nregs-mp.org
facebook: www.facebook.com/nrega.mp , YouTube : YouTube.com/nrega mp

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना म.प्र.

"प्रमुख उपयोजनाऐं-क्रियान्वयन निर्देश"

मार्गदर्शन

डॉ. अरूणा शर्मा

अपर मुख्य सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)

निर्देशन

डॉ. रवीन्द्र पस्तोर

आयुक्त (मनरेगा) म.प्र.

समन्वय

श्री प्रभाकांत कटारे, मुख्य अभियन्ता (ग्रा.यां.सेवा)

श्री ए.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता (मनरेगा)

श्री एम.के. जैन, अधीक्षण यंत्री (मनरेगा)

संपादन

श्री क्रांतिदीप अलूने

मीडिया अधिकारी एवं स्टेट नोडल अधिकारी (IEC)

सहयोग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, कार्यपालन यंत्री

श्री योगेन्द्र कुमार गिरि, सहायक यंत्री

श्री महेश सोनी, सहायक यंत्री

श्री के.के. मोर, सहायक यंत्री

श्री देवेन्द्र कुमार राठौर

सुश्री मंजूषा कामले

गोपाल भार्गव
मंत्री, सामाजिक न्याय,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
तथा सहकारिता
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल–462003

संदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) गांव के समग्र एवं सशक्त विकास के लिए आज एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन से महिला-पुरूष में समानता के भाव को जागृत करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। यह एक सामाजिक सुरक्षा के सशक्त माध्यम के रूप में आज दृष्टिगोचर हो रहा है।

प्रदेश के गांवों को विकसित बनाने के साथ ही उन्हें उन्नति के पथ पर निरन्तर अग्रसर बनाए रखने के लिए रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ग्रामीण हित में विभिन्न नवीन जन कल्याणकारी उपयोजनाओं का निर्माण किया गया है। इनके क्रियान्वयन से आगामी वर्षों पांच वर्षों में निश्चित ही गांवों के अभूतपूर्व विकास में सभी सहभागी बनेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल द्वारा "प्रमुख उपयोजनाएँ- क्रियान्वयन निर्देश" अंतर्गत जारी निर्देशों के संकलन एवं प्रकाशन पर हार्दिक बधाई।

(गोपाल भार्गव)

डॉ. अरूणा शर्मा
अपर मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल–462003

संदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन ने गांवों की तस्वीर में बदलाव को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत श्रम मूलक कार्यों के माध्यम से जॉबकार्डधारियों को 100 दिवस के रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही गांवों के अधोसंरचनात्मक विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

मनरेगा एवं अन्य विभागों के अभिसरण से ग्रामीणजनों की सतत् आजीविका को स्थाई बनाने के लिए निर्मित एवं क्रियान्वित की जा रही नवीन उपयोजनाएं निश्चित की ग्रामीणों को लाभान्वित करेंगी साथ ही गावों के विकास को और अधिक गति मिल सकेगी। मनरेगा एवं अन्य विभागों के अभिसरण से तैयार की जाकर संबंद्ध विभागों के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी परिपत्रों के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाकर प्रदेश के विकास में सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

(डॉ. अरूणा शर्मा)

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005, 5 सितंबर 2005 से लागू हुआ है। अधिनियम के तहत 02 फरवरी 2006 से प्रदेश के 18 जिलों में रोजगार उपलब्ध कराना प्रारंभ हुआ। 01 अप्रैल 2008 से संपूर्ण प्रदेश में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अकुशल श्रम करने के इच्छुक जॉबकार्डधारी परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांवों में हितग्राहीमूलक एवं सामुदायिक कार्य कराये जा रहे हैं। 01 अप्रैल 2014 से भारत सरकार के निर्देशानुसार 157 रुपये मजदूरी प्रति श्रमिक प्रदाय की जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन से आज गांव के स्वरूप में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। योजना के लागू होने के पश्चात गांव के ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार नवीन उपयोजनाओं का निर्माण कर निरन्तर ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है।

मनरेगा अंतर्गत हितग्राहियों की आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही गांवों की अधोसंरचनात्मक विकास के लिए समुदाय मूलक उपयोजनाओं को भी उतनी ही मुस्तैदी से पूर्ण किया जा रहा है। गांव एवं ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने के साथ ही प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार की आजीविका को सतत एवं स्थाई बनाने के लिए प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत नवीन उपयोजनाओं को निर्मित कर इनके क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं। इन निर्देशों पर प्रदेश में मुस्तैदीपूर्वक अमल किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गांवों एवं ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए मनरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश में पूर्व में निर्मित उपयोजनाओं संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों के अतिरिक्त हाल ही में निर्मित अभिसरण (Convergnce) संबंधी नवीन उपयोजनाओं यथा मेरा खेत–मेरी मांटी, सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, ग्राम पंचायतों में अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण, कपिलधारा उपयोजना, ग्रामीण क्रिड़ांगन उपयोजनाओं के संशोधित निर्देशों के साथ ही पारदर्शिता, कार्यों के निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका, लाइन विभागों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्य निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका, मनरेगा में काम करनेवाले मेट इत्यादि के लिए नवीन निर्देशों आदि को पुस्तिका में समाहित किया गया है।

मनरेगा के समस्त स्टेक होल्डर्स के सहयोग एवं समर्पण भाव से प्रदेश की तस्वीर को निश्चित ही बदलने में हम कामयाब होंगे।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त, मनरेगा (म.प्र.)

सशक्त व समग्र ग्रामीण विकास

हक से मांगें काम मिलेगा, काम का पूरा दाम मिलेगा

ग्राम समृद्धि की पहल
महात्मा गांधी नरेगा के साथ

Media Nregs-2014

यदि आपको नहीं मिले

- मांगने पर काम
- समय पर मजदूरी भुगतान
- योजना का लाभ

कॉल करें निः शुल्क टोल फ्री नंबर 155343 पर

आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल द्वारा प्रकाशित